

टिप्पणी- निर्देश की धारा 15 के अनुसार अभ्यर्थियों का उल्लेख इसके पीछे करे जिन्हें कुछ अवधि के लिये परिप्रेक्षक के द्वारा बाहर जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

1.....

2.....

.....

हस्ताक्षर केन्द्राध्यक्ष

.....

हस्ताक्षर परिप्रेक्षक

